संख्या–   / II–02–2020–04(17)/2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2020**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सैक्टर पोषित ड्रेनेज कार्य मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–527/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/नी–27 (राज्य सैक्टर), दिनांक 04.10.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर ड्रेनेज मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के वि0ख0 चकराता के ग्राम पंचायत निनूस में जल निकासी कार्य योजना के प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल धनराशि रू0 22.37 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 10.00लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
7. उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

क्रमश.............02

8. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. अवमुक्त धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जायेगा और धनराशि कार्य होने की प्रत्याशा में पार्किंग नहीं की जायेगी।
10. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. वित्तविभाग के शासनादेश संख्या 254/3 (150)– 2019/XXVII(1)/2018, दिनांक 29मार्च, 2019द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 मेंअनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण रखरखाव कार्य–03–ड्रेनेज–103–सिविल कार्य–02–अन्य रख रखाव कार्य–01–राज्य सैक्टर से पोषित ड्रेनेज कार्य–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–657/XXVII(2)/2019, दिनांक 25 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या– 232(1)/II–02–2020–04(17)/2018, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव